न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/7128/2006/हनुमानगढ

1. मु. नाथी उर्फ रूकमा बेवा सुखराम पत्नी बीरबल– मृतक जरिये वारिसान–
1/1. साहबराम
1/2. दांताराम
1/3. हरदत्त
1/4. रामपाल
1/5. आशाराम
1/6. ओमप्रकाश पुत्रगण बीरबल
1/7. परमेश्वरी पुत्री बीरबल
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चिलकनी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. मु0 रामप्यारी बेवा मनफूल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी ग्राम सीसावली तहसील व जिला हनुमानगढ
2. बीरबल पुत्र खेता जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील व जिला हनुमानगढ
3. कृष्णा पि0 मुतबन्ना तुलछा जाट निवासी चिलकनी तहसील व जिला हनुमानगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोहर जिला हनुमानगढ
5. मु. रामप्यारी बेवा देवीलाल जाति जाट निवासी चारणवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–5
प्रत्यर्थीगण संख्या–1 से 3 का नाम तर्क

निर्णय

दिनांक 02.01.2019

द्वारा श्री मोहन लाल नेहरा–

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीगण की पूर्वज वादी मु0 नाथी उर्फ रूकमा ने उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, नोहर के न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादपत्र की मद संख्या–2 में अंकित चक 3 की कुल 52बीघा भूमि में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या–1 का बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–3 का 1/3 हिस्से के काबिज खातेदार है। सुखराम का काफी समय पूर्व देहान्त हो गया, उस समय उसके वारिस वादिया बेवा एवं लडका मनफूल थे तथा विवादित आराजी में वादिया 1/6 हिस्से की हकदार हो गयी तथा 1/6 हिस्से का हकदार मनफूल पुत्र वादिया हुआ। बाद देहान्त मनफूल प्रतिवादी संख्या–1 विवादित आराजी के 1/6 हिस्से की हकदार हुई। वादिया ने सुखराम की मृत्यु के काफी समय बाद अपने देवर बीरबल से करेवा कर लिया तथा वादिया विवादित भूमि के 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या–1 अपने पीहर लीलावाली में रहती है तथा राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी के 1/6 हिस्से की बजाय 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया तथा गलत अंकन के आधार पर विवादित भूमि में अपने हक से ज्यादा भूमि प्रतिवादी संख्या–5 को दिनांक 7–12–2004 को विक्रय कर दी, जो वादिया के

हकूक के प्रति शून्य व प्रभावहीन है। अतः वादिया को विवादित आराजी के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता तकसीम किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या–5 को मूल वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने के उपरान्त वादिया की ओर से संशोधन वादपत्र दिनांक 15–04–2005 को प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या–5 की ओर से जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार अनुतोष सहित 14 तनकीयात कायम की गयी एवं उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–03–2006 से वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, नोहर द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादिया की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 18–09–2006 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादी अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के मूल

खातेदार खेता था, जिसके तीन पुत्र सुखराम, बीरबल व तुलछा थे। सुखराम के वादिया बेवा नाथी व एक पुत्र मनफूल था, जो फौत हो गया, मनफूल की बेवा प्रत्यर्थी संख्या–1 है तथा वादिया का भी देहान्त हो गया, जिसके वारिसान अपीलार्थीगण है, जिनका विवादित आराजी में 1/6 – 1/6 हिस्सा है। तुलछा के प्रत्यर्थी संख्या–3 कृष्ण है, जिसका विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा निहित है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–1, जो उसके पुत्र की बेवा है, ने विवादित आराजी में निहित 1/6 हिस्से के बजाय राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने अकेले के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वादिया सुखराम की बेवा होने से विवादित आराजी के 1/6 हिस्से की कानूनन हकदार थी। उनका कथन है कि विवादित आराजी मनफूल की मृत्यु उपरान्त अकेले रामप्यारी के नाम दर्ज नहीं होकर वादिया नाथी मनफूल की मां के नाम भी दर्ज होनी चाहिए थी। उनका कथन है कि स्थगन आदेश के प्रभाव में रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या–1 ने विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से से ज्यादा भूमि प्रत्यर्थी संख्या–5 को विक्रय कर दी, जो शून्य प्रभावी है। उनका कथन है कि वादिया ने अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से इस तथ्य को भलीभांति प्रमाणित किया कि वादिया खातेदार सुखराम की बेवा है, जिसका विवादित आराजी में 1/6 हिस्सा निहित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की अनदेखी की, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3 ने दावे के तथ्यों को स्वीकार किया तथा सिविल न्यायालय ने भी वादिया को उत्तराधिकारिता निर्धारित किया। इस कारण सिविल न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी था किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअन्दाज कर सरसरी तौर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए

वादिया अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर वादिया को विवादित आराजी के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता संख्या–5 ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श–डी–2 आवंटन मिसल संख्या 2608/1957 के अनुसार चक–3 की कुल 52 बीघा भूमि मनफूल, तुलछा व बीरबल को बहिस्सा बराबर सम्वत् 2001 के बन्दोबस्त काश्तकार होने के आधार पर राजस्थान उपनिवेशन (राजकीय भूमि का भाखडा क्षेत्र में आवंटन ओर विक्रय) नियम 1955 के तहत दिनांक 13–09–1961 को आवंटन अधिकारी डिप्टी कोलोनाईजेशन कमिश्नर, हनुमानगढ द्वारा कीमतन आवंटन की गयी थी। उनका कथन है कि उपनिवेशन अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण यह सामान्य अधिनियम यथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुपरसिड करता है, इसलिए विशेष अधिनियम के तहत किये गये कीमतन आवंटन आदेश को 40 वर्ष उपरान्त वर्ष 2001 में प्रस्तुत सामान्य अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत निरस्त अथवा रेक्टीफाईड या मोडीफाईड नहीं किया जा सकता और ना ही मूल आवंटीगण के साथ वादिया को खातेदार घोषित किया जा सकता है। उनका कथन है कि विवादित आराजी मनफूल को कीमतन आवंटित की गयी है, सुखराम की विरासत से प्राप्त नही हुई। ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद का मूल आधार ही प्रमाणित नहीं होता है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने द्वितीय अपील के स्तर पर नया मौखिक अभिवचन यथा विवादित आराजी मनफूल की मृत्यु उपरान्त अकेले रामप्यारी के दर्ज न होकर उनकी मां नाथी के नाम भी दर्ज होनी चाहिए, उठाया गया है, जिसकी अनुमति द्वितीय अपील के स्तर प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि मूल वाद एवं अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा उक्त कथन नहीं उठाया था। उनका कथन है कि

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उठाये गये नये अभिवचन का परीक्षण भी किया जो तो भी नाथी व बीरबल के नूत्फे से उत्पन्न हुए अपीलार्थीगण मनफूल की विवादित आराजी में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा कानूनन प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि धारा 15 व 16 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की विधि अनुसार हिन्दू महिला द्वारा छोडी गयी सम्पत्ति अपने वास्तविक स्त्रोत को नहीं खोती, जिससे मृतक महिला ने सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त किया है। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में मनफूल की मृत्यु उपरान्त मनफूल की आराजी उसके दो वारिसान यथा उसकी माता नाथी देवी व पत्नी रामप्यारी की मानी जाये तो भी माता नाथी की निर्वसीयती मृत्यु के उपरान्त मृतक नाथी का उक्त हिस्सा पुनः मनफूल के वारिसान को हस्तान्तरित होगा, बीरबल के वारिसान अर्थात् अपीलार्थीगण को हस्तान्तरित नहीं होगी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तात्विक अनियमितता नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–5 ने अपने कथनों के समर्थन में 2018 आरआरडी पेज 552, 2017 डब्ल्यूएलएन ा पेज 128, 1987 एआईआर एससी पेज 1616, 2008 आरएलडब्ल्यू ा पेज 18 एवं 2007 आरआरडी पेज 587 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया ने अपने वादपत्र में कथन किया कि चक–3 की कुल 52बीघा भूमि में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या–1 का बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–3 का 1/3 हिस्से के काबिज खातेदार है। सुखराम का काफी समय पूर्व देहान्त हो गया, उस समय उसके वारिस वादिया बेवा एवं लडका मनफूल थे तथा विवादित आराजी में वादिया 1/6 हिस्से की हकदार हो गयी तथा 1/6 हिस्से का हकदार मनफूल पुत्र वादिया हुआ। बाद देहान्त मनफूल प्रतिवादी संख्या–1 विवादित आराजी के 1/6 हिस्से की हकदार हुई, जिस पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या–1 अपने पीहर लीलावाली में रहती है तथा राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी के 1/6 हिस्से की बजाय 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया तथा गलत अंकन के आधार पर विवादित भूमि में अपने हक से ज्यादा भूमि प्रतिवादी संख्या–5 को दिनांक 07–12–2004 को विक्रय कर दी, जो वादिया के हकूक के प्रति शून्य व प्रभावहीन है। अतः वादिया को विवादित आराजी के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता तकसीम किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–03–2006 से वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद को साबित एवं स्पष्ट नहीं होने से खारिज कर दिया। तत्पश्चात् अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा भी वादिया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को तनकीवार निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–09–2006 पारित करते हुए खारिज कर दिया।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2053 के अनुसार विवादित आराजी बीरबल, तुलछा पिसरान खेता 2/3 व रामप्यारी बेवा मनफूल 1/3 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी

सम्वत् 2049 में विवादित आराजी बीरबल, तुलछा पिसरान खेता, मनफूल वल्द सुखराम के नाम दर्ज है, जिसमें नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 29–05–1993 को स्वीकृति का नोट अंकित है, जिसके अनुसार विवादित भूमि बीरबल, तुलछा 2/3 हिस्सा व रामप्यारी बेवा मनफूल प्रतिवादी संख्या–1 1/3 हिस्सा अलाटी दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श–डी–2 आवंटन मिसल संख्या 2608/1957 के अनुसार चक–3 की कुल 52 बीघा विवादित भूमि मनफूल, तुलछा व बीरबल को बहिस्सा बराबर सम्वत् 2001 के बन्दोबस्त काश्तकार होने के आधार पर राजस्थान उपनिवेशन (राजकीय भूमि का भाखडा क्षेत्र में आवंटन ओर विक्रय) नियम 1955 के तहत दिनांक 13–09–1961 को आवंटन अधिकारी डिप्टी कोलोनाईजेशन कमिश्नर, हनुमानगढ द्वारा कीमतन आवंटन की गयी थी। उक्त से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादिया के पुत्र मनफूल प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 मु0 रामप्यारी के पति को कीमतन आवंटित की गयी थी, वादिया के पति सुखराम की खातेदारी की भूमि नहीं थी। ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद का मूल आधार ही प्रमाणित नहीं होता है।

9. जहां तक द्वितीय अपील के स्तर पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नवीन मौखिक अभिवचन कि विवादित आराजी मनफूल की मृत्यु के पश्चात् अकेले रामप्यारी के नाम दर्ज नहीं होकर उसकी मां वादिया नाथी के नाम भी दर्ज होनी चाहिए थी, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि वादिया ने उक्त अभिवचन अपने वादपत्र में नहीं अंकित किया, ना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठाया गया। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील के स्तर पर वादिया अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को उक्त अभिवचन उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। जैसा कि योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–5 द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 2018 आरआरडी पेज 552 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। तर्क के लिए यदि नये अभिवचन का परीक्षण भी किया जो तो भी वादिया नाथी व बीरबल के नूत्फे से उत्पन्न हुए अपीलार्थीगण

मनफूल की विवादित आराजी में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा कानूनन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 15 व 16 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की विधि अनुसार हिन्दू महिला द्वारा छोडी गयी सम्पत्ति अपने वास्तविक स्त्रोत को नहीं खोती, जिससे मृतक महिला ने सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त किया है। प्रस्तुत प्रकरण में मनफूल की मृत्यु उपरान्त मनफूल की आराजी उसके दो वारिसान माता नाथी देवी व पत्नी रामप्यारी की मानी जावे तो भी माता नाथी की निर्वसीयती मृत्यु उपरान्त मृतक नाथी का उक्त हिस्सा पुनः मनफूल के वारिसान को ही हस्तान्तरित होगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1) (क) के अनुसार विर्वसीयती मरने वाली हिन्दू नारी नाथी उर्फ रूकमा की सम्पत्ति धारा 16 में दिये गये नियमों के अनुसार वास्तविक पुत्र मनफूल तथा धारा 15(2) (ख) के अनुसार वास्तविक पति सुखाराम अथवा वास्तविक मृत पुत्र मनफूल के वारिस अर्थात् शेष बची रामप्यारी को ही स्थानान्तरित होगी। वादिया नाथी व बीरबल के नूत्फे से उत्पन्न हुए वर्तमान अपीलार्थीगण को प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 रामप्यारी के पति मनफूल की आराजी में कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 1987 एआईआर एससी पेज 1616 में धारा 15(1)(ख) में अंकित शब्द पुत्र में सौतेले पुत्र शब्द को सम्मिलित नहीं है। उक्त से स्पष्ट है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की विस्तृत रूप से विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए मूल वाद में कायम की गयी प्रत्येक तनकी पर तनकीवार निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

10. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा

क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-09-2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, नोहर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-03-2006 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य